इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 जून 2022—ज्येष्ठ 13, शक 1944

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 19 मई 2022

क्र. D—1174,

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 सहपठित धारा 477 दं.प्र.सं., 1973 (1974 का 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा रिट याचिका (आपराधिक) क्रमांक 1/2017 संदर्भः आपराधिक विचारणों में कमियों और अपर्याप्तताओं के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने संबंधी पारित आदेश के अनुसरण में, एतद्द्वारा,

मध्य प्रदेश नियम तथा आदेश (आपराधिक) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्;

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 107 के पश्चात् निम्नानुसार नियम जोड़ा जाए, अर्थात्;

"108. अभियोजकों एवं अन्वेषकों का पृथक्करण–

अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी को सलाह देने के लिए राज्य सरकार लोक अभियोजकों से भिन्न अधिवक्ताओं की नियुक्ति करेगी।"

2. नियम 117 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़े जाएं, अर्थात्;

"117-क. धारा 173, 207 एवं 208 दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 के अंतर्गत दस्तावेज प्रदान करना–

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 207 एवं 208 के अनुसार प्रत्येक अभियुक्त को दं.प्र.सं. की धारा 161 एवं 164 के अधीन अभिलिखित साक्षियों के कथन एवं अन्वेषण के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों, आवश्यक वस्तुओं तथा प्रदर्शों की एक सूची, जिन पर अन्वेषण अधिकारी (आई.ओ.) निर्भर रहा है, प्रदाय किए जाएंगें।

स्पष्टीकरणः– कथनों, दस्तावेजों, आवश्यक वस्तुओं तथा प्रदर्शों की सूची उन कथनों, दस्तावेजों, आवश्यक वस्तुओं तथा प्रदर्शों को विनिर्दिष्ट करेगी जिन पर अन्वेषण अधिकारी निर्भर नहीं रहा है।

117-ख. जमानत–

(1) अजमानतीय मामलों में जमानत के लिए आवेदन सामान्यतः प्रथम सुनवाई की तारीख से 3 से 7 दिनों की अवधि के भीतर

निपटाए जाएंगे। यदि आवेदन ऐसी अवधि के भीतर निपटाया नहीं जाता है तो पीठासीन अधिकारी आदेश में ही उसके कारण देंगे। आदेश एवं जमानत आवेदन का उत्तर अथवा प्रास्थिति प्रतिवेदन (पुलिस या अभियोजन द्वारा) यदि कोई हो तो, की प्रति अभियुक्त को आदेश सुनाए जाने की तारीख को ही दी जाएगी।

(2) पीठासीन अधिकारी, किसी भी समुचित मामले में अपने स्वविवेकानुसार मामले के भारसाधक अभियोजक द्वारा कथन प्रस्तुत किए जाने पर जोर दे सकते हैं।"

3. **नियम 170 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात्;**

"**170-क.** आरोप विरचित करने के आदेश के साथ दं.प्र.सं., 1973 की अनुसूची II के प्ररूप 32 में औपचारिक आरोप होगा जो कि पीठासीन अधिकारी द्वारा संपूर्ण एवं पूर्ण रूप से बुद्धि का संपूर्ण एवं पूर्ण अनुप्रयोग करके व्यक्तिगत रूप से तैयार किया जाएगा।"

4. **नियम 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 एवं 187 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किए जाएं, अर्थात्;**

"**180. प्रक्रिया–**

(1) साक्षियों की अभिसाक्ष्य, यदि संभव हो तो, टंकित प्रारूप में अभिलिखित की जाएगी। पीठासीन अधिकारी के बोलने पर न्यायालय में साक्ष्य का अभिलेख, यदि उपलब्ध हो तो कम्प्यूटर पर तैयार किया जाएगा। किसी मामले में, यदि टंकित प्रारूप में अभिसाक्ष्य को अभिलिखित करना संभव नहीं है तो साक्षी की अभिसाक्ष्य न्यायालय द्वारा उसकी स्वयं की हस्तलिपि में लिखी जाएगी।

परन्तु जब किसी मामले में अभिसाक्ष्य अंग्रेजी या राज्य की भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में अभिलिखित की जानी है, तो पीठासीन अधिकारी उसी समय या तो स्वयं या एक सक्षम अनुवादक के माध्यम से अभिसाक्ष्य का अंग्रेजी में अनुवाद करेंगें।

(2) अभिसाक्ष्य को साक्षी की भाषा में और जब अनुवाद किया जाता है तो उपनियम (1) में यथाउपबंधित अंग्रेजी में अभिलिखित किया जाएगा।

(3) अभिसाक्ष्यों को बिना किसी अपवाद के पीठासीन अधिकारी द्वारा न्यायालय में पढ़कर सुनाया जाएगा। इस प्रकार अभिलिखित की गई गवाही की हार्ड कॉपी, जिसे पीठासीन अधिकारी/न्यायालय अधिकारी द्वारा एक सत्यप्रतिलिपि के रूप में सम्यक रूप से हस्ताक्षरित किया गया है, अभियुक्त या अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता को, साक्षी को और अभियोजक को उसे अभिलिखित करने की तिथि पर, पावती लेकर, निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

(4) पीठासीन अधिकारी एक ही समय पर एक से अधिक प्रकरणों में साक्ष्य अभिलिखित नहीं करेंगे।

181. प्रत्येक न्यायालय में एक अनुवादक उपलब्ध कराया जाएगा और पीठासीन अधिकारियों को स्थानीय भाषाओं में, पीठासीन अधिकारी के निवेदन पर प्रशिक्षित किया जाएगा।

यदि अनुवादक न्यायालय का कर्मचारी नहीं है या सरकार द्वारा नियुक्त अनुवादक नहीं है तो न्यायालय उसे उसकी सेवाओं के लिए उचित पारिश्रमिक देने के लिए प्राधिकृत है, जो अर्ध्दकुशल साक्षी को भुगतान किये गये डी ए की राशि से अधिक नहीं हो। इस खाते के प्रभार उसी मद के नामे डाले जाएंगें, जो साक्षी के खर्चे से संबंधित हो।

182. साक्षियों के प्ररूप–

(1) अभिसाक्ष्य विहित प्रपत्र पर और प्रथम पुरूष में अभिलिखित किये जाएंगें।

(2) प्रत्येक साक्षी की अभिसाक्ष्य, अलग–अलग पैराग्राफ में विभक्त कर पैरासंख्या देते हुए अभिलिखित की जायेगी।

(3) अभियोजन साक्षियों को क्रमानुसार अ.सा. 1, अ.सा. 2 आदि के रूप में संख्यांकित किया जाएगा। इसी प्रकार बचाव साक्षियों को क्रमानुसार ब.सा. 1, ब.सा. 2 आदि के रूप में संख्यांकित किया

जाएगा। न्यायालीय साक्षियों को क्रमानुसार न्या.सा. 1, न्या.सा. 2 आदि के रूप में संख्यांकित किया जाएगा।

(4) यदि अभिसाक्ष्य एक ही पत्रक में पूरा नहीं किया जा सके, तो इसे अगले पत्रक में जारी रखा जाना चाहिए। प्रथम अनुवर्ती पत्रक पर "2", दूसरे पर "3" और इसी प्रकार आगे की संख्या लिखी जाएगी। प्रत्येक पत्रक पर क्रमांक तथा अ.सा., ब.सा., न्या.सा. के रूप में संख्या इंगित करते हुए साक्षी का नाम होना चाहिए। प्रत्येक साक्षी का अभिसाक्ष्य पृथक–पृथक पत्रक पर और संहिता में विहित रीति में अभिलिखित किया जाना चाहिए। एक साक्षी का अभिसाक्ष्य विस्तारपूर्वक अभिलिखित करके और अन्य साक्षियों के नामों के सम्मुख यह प्रविष्ट करना कि वे "उपरोक्तानुसार कथन करते हैं" अवैध है।

(5) अभिसाक्ष्य पत्रकों और अनुवर्ती पत्रकों, दोनों के शीर्षक निरपवाद रूप से पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं भरे जाने चाहिए। पूर्व दशा में, जब अपेक्षित हो, "प्रतिज्ञान" के स्थान पर शब्द "शपथ" स्थापित किया जाएगा। यदि साक्षी स्वयं की सही आयु बताने में समर्थ प्रतीत नहीं होता है तब शीर्षक में कथित आयु पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुमानित की जाएगी। यदि, किसी विशेष कारण से, साक्षी का उसकी स्वयं की आयु के संबंध में कथन लिखा जाना आवश्यक हो, तो वह अभिसाक्ष्य के अंग के रूप में लिखा जाएगा। साक्षी का नाम, उसके पिता का नाम, निवास स्थान एवं व्यवसाय की विशिष्टियां उसके अभिसाक्ष्य का ही भाग होते हैं और यह शपथ या प्रतिज्ञान दिलाए जाने तक अभिलिखित नहीं किए जाने चाहिए। साक्षी का व्यवसाय यथार्थता के साथ अभिकथित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए "नौकरी" पर्याप्त विवरण नहीं है, यह कथित होना चाहिए कि साक्षी किस प्रकार की नौकरी में है। इसी प्रकार, "निजी सेवा", जिसका तात्पर्य लोक–नियोजन के विपरीत निजी नियोजन से अधिक कुछ नहीं होता, इसे किसी विशिष्ट प्रकार के नियोजन के

रूप में विचारित किया जाना चाहिए। किसी साक्षी का व्यवसाय केवल शासकीय सेवक नहीं लिखा जाना चाहिए, इसका कारण यह है कि सामान्यतः यह जानना उपयोगी होता है कि वह किस प्रतिष्ठा का है तथा कभी यह जानना विशेष महत्व का होता है कि क्या वह पुलिस अधिकारी है या नहीं। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि स्थानीय रूप से विख्यात एक साक्षी न्यायालय में विख्यात नहीं भी हो सकता है, जिसके लिये अन्ततः अभिलेख प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि साक्षी विवाहित स्त्री है तब उसके पिता के स्थान पर उसके पति का नाम लिखा जाना चाहिए।

(6) अभिसाक्ष्य अभिलिखित करते समय, बोलचाल की भाषा के शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए और यदि ऐसे शब्द आवश्यक हैं तो उनके निकटतम अर्थ को कोष्ठकों में बताया जाना चाहिए ताकि संदिग्धता से बचा जा सके। भारतीय तिथियों के बाद कोष्ठकों में उनके अंग्रेजी समकक्ष होने चाहिए।

(7) यदि कोई साक्षी कुछ सीमा चिन्हों को दर्शाते हुए दूरी के संबंध में कथन करता है, तो पीठासीन अधिकारियों द्वारा अनुमानित दूरी अभिनिश्चित की जानी चाहिए तथा कोष्ठकों में उल्लिखित की जानी चाहिए।

(8) पीठासीन अधिकारी को साक्षी की भाव–भंगिमा के संबंध में टिप्पणी देने में, जबकि ऐसी भाव–भंगिमा ध्यान देने योग्य है तथा साक्षी द्वारा दी गई साक्ष्य के मूल्यांकन में उसके अनुमान को प्रभावित करती है, चूक नहीं करनी चाहिए।

(9) अभिसाक्ष्यों का अभिलेख मुख्य परीक्षण, प्रति परीक्षण एवं पुनः परीक्षण की तिथि उपदर्शित करेगा।

(10) पीठासीन अधिकारी, जहां कहीं आवश्यक हो, अभिसाक्ष्य को प्रश्न व उत्तर के रूप में अभिलिखित करेंगें।

(11) अभियोजन अथवा बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा की गई आपत्तियों पर ध्यान दिया जाएगा तथा उन्हें साक्ष्य में परिलक्षित किया जाएगा

तथा उन्हें यथाशीघ्र, विधि के अनुसार या विद्वान न्यायाधीश के विवेक पर, प्रश्नगत साक्षी की अभिसाक्ष्य की समाप्ति पर विनिश्चित किया जाएगा।

(12) किसी पश्चातवर्ती तिथि पर साक्षी का नाम और क्रमांक स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाएगा, यदि साक्ष्य उस तिथि पर समाप्त नहीं होती है जिस तारीख को वह आरंभ होती है।

(13) प्रत्येक साक्षी की साक्ष्य को, उस साक्षी को पढ़कर सुनाना चाहिए अथवा इसे स्वयं साक्षी द्वारा पढ़ा जा सकता है। प्रत्येक अभिसाक्ष्य को पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित (ना केवल अद्योहस्ताक्षरित) किया जाना चाहिए, जिन्हें अपने हस्ताक्षर में कम से कम अपने अधिकारिक पदनाम को दर्शाने वाले आद्याक्षरों को जोड़ना चाहिए, ताकि अभिसाक्ष्य स्वयं में पूर्ण हो सके। प्रत्येक अभिसाक्ष्य पत्र साक्षी द्वारा हस्ताक्षरित/अंगुष्ठ चिन्हित, जैसी भी स्थिति हो, किया जाएगा।

टिप्पणीः— किसी अभिसाक्ष्य या न्यायिक कार्यवाहियों के अभिलेख के भाग में किए गए प्रत्येक परिवर्तन, अंतरालेखन तथा मिटाऐ जाने को सदैव उसी समय पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने अद्योहस्ताक्षरों द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा। वह अभिसाक्ष्यों या साक्ष्य के ज्ञापन को टंकित कर सकेगा किंतु वह ऐसी टंकित विषयवस्तु के प्रत्येक पृष्ठ को हस्ताक्षरित करेगा।

(14) प्रत्येक अभिसाक्ष्य के अंत में, पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित रीति में एक प्रमाणपत्र अनुलग्नित किया जाएगाः—

"मेरे द्वारा न्यायालय में लिखा गया या लिखवाया गया तथा साक्षी द्वारा समझा/पढ़ा गया अथवा साक्षी को समझाया/पढ़कर सुनाया गया।"

(15) यदि साक्षी अभिलेख की शुद्धता स्वीकार करता है, अथवा जब कोई आवश्यक शुध्दियां की गई है, तब पीठासीन अधिकारी को अभिसाक्ष्य के पाद भाग पर अलग से उपयुक्त पृष्ठांकन करके तथा हस्ताक्षरित करके उसे प्रमाणित करना चाहिए। यदि साक्षी साक्ष्य के किसी भाग

की शुद्धता उस समय अस्वीकार करता है जब ऐसा भाग उसे पढ़कर सुनाया जाता है, तब पीठासीन अधिकारी अभिलेख में सुधार करने के बजाए, साक्षी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का उस पर ज्ञापन बना सकेगा एवं ऐसी विशिष्टियां जोड़ेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे।

183. श्रव्य–दृश्य संपर्क के माध्यम से साक्ष्य का अभिलेखन–

साक्ष्य का श्रव्य–दृश्य संपर्क के माध्यम से अभिलेखन इस संबंध में पृथक रूप से बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

टिप्पणीः वर्तमान में "मध्यप्रदेश जिला न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं ऑडियो–विजुअल इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज नियम, 2020" दिनांक 20.11.2020 को राजपत्र में अधिसूचित किए गए हैं।

184. आवश्यक वस्तुओं एवं साक्ष्य का प्रदर्शित किया जाना–

(1) अभियोजन प्रदर्श पी 1, पी 2 आदि के रूप में क्रमानुसार चिन्हांकित किए जाएंगें। समानतः, प्रतिरक्षा प्रदर्श, प्रदर्श डी 1, डी 2 आदि के रूप में क्रमानुसार चिन्हित किए जाएंगें। न्यायालय प्रदर्श, प्रदर्श सी 1, सी 2 आदि के रूप में क्रमानुसार चिन्हित किए जाएंगें।

(2) उस साक्षी का आसानी से पता लगाने के लिए, जिसके माध्यम से सर्वप्रथम साक्ष्य में दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था, प्रदर्श क्रमांक आगे, प्रदर्श संख्या के पश्चात् ऐसे साक्षी की साक्षी संख्या दर्शित करेंगें। यदि कोई प्रदर्श, बिना उचित प्रमाण के चिन्हित किया गया है, तो उसे कोष्ठक में (प्रमाण के अध्यधीन) दिखाकर दर्शाया जावेगा।

स्पष्टीकरणः यदि अभियोजन साक्षी क्र. 1 (अ.सा. 1) साक्ष्य में कोई प्रलेख प्रस्तुत करता है, तो उस प्रलेख को प्रदर्श पी 1/अ.सा. 1 चिन्हित किया जाएगा। यदि उस प्रलेख को चिन्हांकित किए जाने के समय उसके लिए उचित प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उसे प्रदर्श पी 1/अ.सा. 1 (प्रमाण के अधीन) चिन्हांकित किया जाएगा। अ.सा. 1 द्वारा प्रस्तुत द्वितीय प्रलेख प्रदर्श पी. 2/ अ.सा. 1 होगा।

(3) आवश्यक वस्तुएं क्रमानुसार आ.व. 1, आ.व. 2 इत्यादि के रूप में चिन्हित की जाएंगी।

185. अभियुक्त, साक्षी, प्रदर्शों तथा आवश्यक वस्तुओं का पश्चात्वर्ती उद्धरण–

(1) आरोप विरचना के पश्चात्, अभियुक्तों को आरोप में अभियुक्त श्रंखला में उनकी रैंक व उनके नाम अथवा अन्य संदर्भों से संदर्भित किया जाएगा।

(2) साक्षियों की साक्ष्य अभिलिखित करने, प्रदर्श व आवश्यक वस्तुओं को चिन्हित करने के पश्चात्, अन्य साक्षियों की साक्ष्य अभिलिखित करने के दौरान, साक्षीगण, प्रदर्श व आवश्यक वस्तुएं उनके क्रमांक से संदर्भित की जाएंगीं ना कि उनके नामों या अन्य संदर्भों से।

(3) जहां शिकायत या पुलिस रिपोर्ट में उद्धरित साक्षियों का परीक्षण नहीं हुआ है, वे उनके नामों व शिकायत या पुलिस रिपोर्ट में उन्हें आबंटित संख्या से संदर्भित किये जाएंगें।

186. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 व 164 के अंतर्गत कथन संबंधी उद्धरण–

(1) प्रतिपरीक्षण के दौरान संबंधित साक्षी का खंडन करने के लिए इस्तेमाल किये गये धारा 161 द.प्र.सं. के तहत दर्ज बयान के सुसंगत हिस्से को उद्धृत किया जाएगा। यदि उपरोक्तानुसार सुसंगत अंश उद्धृत किया जाना संभव न हो, तो पीठासीन अधिकारी, अपने स्वविवेक से, ऐसे सुसंगत अंश के प्रारंभिक व अंतिम शब्दों को, पृथक अंकन के माध्यम से, अभिसाक्ष्य अभिलिखित करते समय विनिर्दिष्टतः दर्शायेगा।

(2) ऐसे मामलों में, जहां सुसंगत अंश उद्धृत नहीं किया जाता है, केवल अंशों को ही अभियोजन या बचाव प्रदर्श के रूप में, जैसी भी स्थिति हो, स्पष्टतः चिन्हित किया जाएगा, ताकि साक्ष्य के अन्य अग्राह्य भाग अभिलेख का हिस्सा न हो।

(3) ऐसे मामलों में, जहां सुसंगत अंश उद्धृत नहीं किया जाता, वहां ग्राह्य भाग को स्पष्टतः अभियोजन अथवा बचाव प्रदर्श के रूप में, जैसी भी स्थिति हो, चिन्हित किया जाएगा।

(4) जब कभी जीवित व्यक्तियों के पूर्व कथनों के ऐसे अंश विरोधाभास/संपुष्टि हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं, तब धारा 161 के अधीन अभिलिखित कथनों पर लागू होने वाले पूर्वोक्त नियम, द.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत अभिलिखित किए गये कथनों पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगें।

(5) द.प्र.सं. की धारा 161 व 164 के अधीन संपूर्ण कथन का सर्वव्यापक अंकन नहीं किया जाएगा।

187. संस्वीकृति कथनों का चिन्हांकन–

पीठासीन अधिकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 8 अथवा धारा 27 के अधीन ज्ञापन का प्रदर्श चिन्हित करने के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करेगें कि ऐसे ज्ञापन के ग्राह्य भाग को चिन्हित किया गया है तथा ऐसे भाग को एक पृथक पृष्ठ पर निकाला गया है तथा चिन्हित किया गया है और एक प्रदर्श संख्या दी गई है।"

5. नियम 189 का लोप किया जाए।

6. नियम 191 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्;

"191. शीघ्र विचारण हेतु निर्देश–

(1) प्रत्येक जांच व विचारण में, कार्यवाहियां यथासंभव शीघ्रता से की जाएंगी, एवं, विशेष रूप से, जब एक बार साक्षियों का परीक्षण आरंभ हो गया है, तो वे सभी हाज़िर साक्षियों की परीक्षा हो जाने तक दिन–प्रतिदिन जारी रखी जाएंगीं, जब तक कि ऐसे कारणों से, जो लेखबध्द किए जाएंगे, न्यायालय उन्हें अगले दिन से परे स्थगित करना आवश्यक न समझे। (द.प्र.सं., 1973 की धारा 309(1))। इस प्रयोजनार्थ, प्रारंभ में एवं आरोप की विरचना के तत्काल बाद, न्यायालय यह ध्यान में रखकर कि क्या साक्षी महत्वपूर्ण हैं अथवा

चक्षुदर्शी साक्षी हैं, अथवा औपचारिक साक्षी हैं अथवा विशेषज्ञ हैं, साक्ष्य अभिलिखित करने हेतु लगातार तारीखों को सुनिश्चित करने व नियत करने के लिए समयबध्द सुनवाई आयोजित करेगा, न्यायालय तब ऐसी निरंतर तारीखों को दर्शित करते हुए एक कार्यक्रम बनाएगा, जब साक्षियों का परीक्षण किया जाएगा; यह किसी एक दिनांक को साक्षियों के एक समूह की, अगली दिनांक को अन्य समूह की और इसी तरह आगे, अभिसाक्ष्यों के अभिलेखन का कार्यक्रम बनाने हेतु स्वतंत्र है। न्यायालय, विचारण आरंभ होने के पूर्व, यह भी सुनिश्चित करेगा कि क्या पक्षकार द.प्र.सं., 1973 की धारा 294 के अंतर्गत किसी दस्तावेज को स्वीकृत कराना चाहते है एवं उन्हें ऐसा करने की अनुज्ञा देगा, जिसके पश्चात् विचारण हेतु ऐसी लगातार तारीखें नियत की जाएंगी।

(2) विचारण के आरंभ होने के पश्चात्, यदि न्यायालय यह आवश्यक या उचित समझता है कि किसी जांच या विचारण का आंरभ करना मुल्तवी कर दिया जाए या उसे स्थगित कर दिया जाए तो वह समय–समय पर, ऐसे कारणों से जो लेखबध्द किए जाएंगे, ऐसे निबंधनों पर, जैसे वह ठीक समझे, उतने समय के लिए जितना वह युक्तियुक्त समझे, उसे मुल्तवी या स्थगित कर सकेगा। यदि साक्षी हाजिर हों तब उनकी परीक्षा किए बिना स्थगन या मुल्तवी करने की मंजूरी विशेष कारणों के बिना, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, नहीं दी जाएगी। (द.प्र.सं. 1973 की धारा 309(2))

(3) सत्र मामलों को अन्य कार्यों से अधिक प्राथमिकता दी जा सकती है एवं जब तक किसी दिन कोई सत्र कार्य पूर्ण नहीं होता, तो सत्र दिनों में कोई अन्य कार्य नहीं लिया जाएगा। जब एक बार कोई सत्र मामला नियत किया जाता है, तो जब तक अपरिहार्य ना हो, उसे मुल्तवी नहीं किया जाना चाहिए, और जब एक बार विचारण प्रारंभ हो चुका है तो इसके पूर्ण होने तक इसे दिन–प्रतिदिन जारी रखना चाहिए। यदि किसी कारण से, किसी मामले को स्थगित या मुल्तवी

करना हो तो दोनों पक्षों को इसकी सूचना तुरंत दी जानी चाहिए तथा साक्षियों को रोकने एवं स्थगित तारीख पर उनकी उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए।"

7. **नियम 238 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़े जाएं, अर्थात्;**

"238-क. **प्रत्येक निर्णय में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगें–**

(1) नियमों के प्ररूप–घ के अनुसार पक्षकारों के नाम दर्शित करने वाली प्रस्तावना से शुरूआत।

(2) नियमों के प्ररूप–ड. के अनुसार सारणीबद्ध विवरण।

(3) नियमों के प्ररूप–च के अनुसार अभियोजन साक्षी, बचाव साक्षी, न्यायालय साक्षी, अभियोजन प्रदर्श, बचाव प्रदर्श, न्यायालय प्रदर्श एवं आवश्यक वस्तुओं की सूची देते हुए परिशिष्ट।

238-ख. द.प्र.सं., 1973 की धारा 354 एवं 355 के अनुपालन में, समस्त मामलों में निर्णय में अंतर्विष्ट होंगेः

क. अवधारण के लिए एक या अधिक प्रश्न,

ख. उन पर विनिश्चय, एवं

ग. विनिश्चय का कारण।"

8. **नियम 240 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात;**

"240(1) निर्णय युक्तियुक्त लंबाई के पदों में लिखा जायेगा और प्रत्येक पद को क्रमानुसार संख्यांकित किया जायेगा। यथाविधि वे नियत टंकित पृष्ठ के लगभग तीन चौथाई से अधिक नहीं होना चाहिए तथा उनका उपपदों में विभाजन करने से बचा जाना चाहिए। पीठासीन अधिकारी, अपने स्वविवेक से, निर्णय को विभिन्न वर्गों में व्यवस्थित कर सकते हैं। यह मुख्यतः अपीलीय अथवा पुनरीक्षण की न्यायालय में तर्क के दौरान, निर्णय के किसी विशेष भाग के उल्लेख को सुविधाजनक बनाने के लिए हैं।

(2) प्रारंभिक पदों में कमोवेश आरोप के विवरण देते हुए संक्षेप में यह बताया जाना चाहिए कि किस व्यक्ति पर क्या करने का आरोप है, जिससे कि प्रारंभ से ही यह बात पता लग जाए कि निर्णय किस बारे में है।

(3) अगले एक या दो पदों में स्वीकृत/अविवादित तथ्य दिये जाने चाहिए और अभियोजन मामले तथा प्रतिरक्षा के मध्य स्पष्ट रूप से अंतर करते हुए संक्षेप में उल्लेख करना चाहिए कि क्या स्वीकृत/अविवादित है और क्या नहीं। ग्रामों तथा स्थानों की दशा, उनके मध्य की दूरी एवं पक्षकारों एवं साक्षियों के आपसी संबंध जैसे विषयों का संकेत किया जाना चाहिए, जब ऐसे विवरण ऐसे मामलों को स्पष्टतः समझने के लिए आवश्यक हों।

(4) उसके पश्चात् पक्ष एवं विपक्ष के साक्ष्य को क्रमबद्ध करते हुए एवं तर्क पर विचार करते हुए और दूसरे बिंदु पर अग्रसर होने के पूर्व पहले बिंदु पर स्पष्ट निष्कर्ष देते हुए जो बिंदु निर्णय के लिए उठते हैं उन्हें एक के बाद एक उल्लिखित करना चाहिए । विभिन्न बिन्दुओं को पृथक–पृथक पदों में अभिलिखित किए जाना चाहिए किंतु कुछ बिदुंओ के लिए एक से अधिक पदों की आवश्यकता पड़ सकती है। उद्देश्य के प्रश्न पर पहले विचार करना अनुचित है, क्योंकि वह ऐसे तर्क को आमंत्रित करता है कि एतद्द्वारा न्यायालय मामले के गुणदोषों का पूर्व से ही निर्णय कर लेती है।

(5) स्पष्ट एवं अविवादित बिन्दु पर श्रम नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि यह पाया जाता है कि एक व्यक्ति का सिर उसके शरीर से लगभग अलग हो गया है तो इस साक्ष्य पर विवेचन करना कभी–कभी ही आवश्यक हो सकता है कि वह व्यक्ति उसके बहुत पहले स्वस्थ नहीं था; उसकी चोटों की प्रकृति को इंगित करना और यह कहना कि यह स्पष्ट है और विवादित नहीं रहा है कि उसकी हत्या की गई थी, सामान्यतः पर्याप्त होगा और कि विनिश्चय के लिए केवल प्रश्न यह है कि उसकी किसने हत्या की।

(6) विनिश्चय हेतु उत्पन्न समस्त बिन्दुओं के विनिश्चय के पश्चात् सम्पूर्ण मामले का निर्णय उसी अथवा आगामी पद में दंडादेश, यदि कोई हो, सहित होगा। यदि अभियुक्त द्वारा एक से अधिक अपराध किया जाना पाया जाता है तब प्रत्येक अपराध के किये पृथक दंडादेश जब तक कि उससे भारतीय दंड संहिता की धारा 71 का अतिलंघन न होता हो, पारित किया जाना चाहिए, किंतु ऐसे दंडादेश समवर्ती रूप से चल सकेंगे।

(7) न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट को निर्णय का लेखन तब तक प्रारंभ नहीं करना चाहिए जब तक कि वह अपने मस्तिष्क में यह स्पष्ट नहीं कर लेता है कि कौन–कौन से बिन्दु पर उसे विनिश्चत करना है, उनका वह किस प्रकार निर्णय करने जा रहा है, और उनके निष्कर्षों के क्या कारण हैं तब वह इन बिदुंओं की, जहां तक संभव हो, स्पष्ट और संक्षिप्त चर्चा करेगा। निर्णय जब तक बाद में सतर्कतापूर्वक पढ़ा नहीं जाता और जहां आवश्यक हो सुधारा नहीं जाता, तब तक उसका पूरी तरह स्पष्ट होना असंभावित है।

(8) ये **टिप्पणियां** मुख्यतः विचारण न्यायालयों के मार्गदर्शन के लिए आशयित है, किन्तु सामान्य सिध्दांत अपील एवं पुनरीक्षण न्यायालयों द्वारा भी ध्यान में रखे जाना चाहिए।"

9. **नियम 243 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्;**

"**243. (1)** निर्णय में अभियुक्त, साक्षीगण, प्रदर्श तथा आवश्यक वस्तुओं को उनके नामपद्धति अथवा संख्या द्वारा संदर्भित किया जाएगा और न केवल उनके नाम से या अन्यथा। जहां कहीं भी, अभियुक्त अथवा साक्षियों को उनके नाम से निर्दिष्ट करने की आवश्यकता हो, संख्या को कोष्ठक में उपदर्शित किया जाएगा।

(2) दोषसिद्धि के मामले में, अंर्तग्रस्त अपराध एवं दी गई सजा को निर्णय में पृथक रूप से दर्शाया जाएगा। यदि कई अभियुक्तगण है, तो उनमें से प्रत्येक के बारे मे पृथक से कार्यवाही की जाएगी। दोषमुक्ति के

मामले में एवं यदि अभियुक्त परिरोध में है, तो अभियुक्त को मुक्त करने के लिए निर्देश दिया जाएगा, जब तक कि ऐसा अभियुक्त किसी अन्य मामले में अभिरक्षा में न हो।"

10. नियम 458 में, अंतिम दो पैराग्राफ लोप किये जांए।

11. प्ररूप–ग के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप जोड़े जांए, अर्थात्;

प्ररूप–घ

समक्ष न्यायालयः ..... समक्ष ..... सत्र न्यायाधीश [निर्णय की तारीख] [प्रकरण सं. ...../20.....] (प्र.सू.रि./ अपराध और पुलिस थाने का विवरण)	
परिवादी	राज्य ..... या परिवादी का नाम
प्रतिनिधित्व द्वारा	अधिवक्ता का नाम
अभियुक्त	(1) नाम सभी विशिष्टयों सहित (अ 1) (2) नाम सभी विशिष्टयों सहित (अ 2)
प्रतिनिधित्व द्वारा	अधिवक्तागण का नाम

प्ररूप–ड.

अपराध की तारीख	
प्र.सू.रि. की तारीख	
आरोप–पत्र की तारीख	
आरोपों के विरचना की तारीख	
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तारीख	
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	
निर्णय की तारीख	
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि

प्ररूप–च

अभियोजन/ प्रतिरक्षा/ न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय

		साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा. 1		
अ.सा. 2		

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो: –

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
ब.सा. 1		
ब.सा. 2		

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो: –

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
न्या.सा. 1		
न्या.सा. 2		

अभियोजन/ प्रतिरक्षा/ न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन

सं. क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी. 1/ अ.सा. 1	
2	प्रदर्श पी. 2/ अ.सा. 2	

ख. प्रतिरक्षा :

सं. क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श डी. 1/ब.सा. 1	
2	प्रदर्श डी. 2/ब.सा. 2	

ग. न्यायालयीन प्रदर्श :

सं. क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श सी. 1/ न्या.सा. 1	
2	प्रदर्श सी. 2/ न्या.सा. 2	

घ. आवश्यक वस्तुएं :

सं. क्र.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1	आ.व. 1	
2	आ.व. 2	

*****

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
कृष्णमूर्ति मिश्रा, रजिस्ट्रार जनरल.